

**DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE**

NAME OF NEWSPAPER

Hindustan Times

NEW DELHI
SATURDAY
JULY 01, 2023

PAGE NO. _____
DATED _____

Work on layout for non-conforming areas in city begins

HT Correspondent

letters@hindustantimes.com

NEW DELHI: Chief Minister Arvind Kejriwal on Friday said his government has framed a policy for the redevelopment of 26 notified non-conforming industrial areas. Kejriwal also held a meeting with industrialists to initiate the layout planning phase for the areas. The state government announced about 10 days ago that it will be taking steps to turn all non-conforming industrial areas into conforming areas.

The chief minister said the policy has three phases. Under the first phase, a panel of consultants will be formed for preparing layout plans. Industrial associations concerned will bear 10% of the consultant charges and the remaining will be borne by the government, he said.

Under the second phase, the focus will be development of basic facilities like sewer lines, roads, while the third phase will see construction of community halls. "This will remove the tag of non-conforming areas," Kejriwal said. "Through this project,

the government will completely redevelop these areas, boosting existing industries and generating a substantial number of new employment opportunities. All industry associations have extended their full support to this cause," said Kejriwal said.

According to the Delhi Master Plan, the demarcation of land for residential, commercial, and industrial use is the responsibility of the DDA. "However, when the expansion and industrial activities took place, the master plans were not updated and the industrial clusters were not created, which led to illegal non-conforming areas," an official said, requesting anonymity.

He added that industrialists will have to be actively involved in the drafting of this plan. The notification process for these areas started in 1990 and continued until 2021. Under the Delhi Master Plan 2021, notifications have been issued for the redevelopment of non-conforming industrial areas and industrial and warehouse clusters.

(With PTI inputs)

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY LIBRARY PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS-

शुक्र दिनी, 1 नवम्बर, 2023 **दैनिक जागरण** **5**

अनियमित औद्योगिक क्षेत्रों का करेंगे संपूर्ण पुनर्विकास: सीएम

नया दिल्ली, नई दिल्ली - दिल्ली सरकार ने अनियमित औद्योगिक क्षेत्रों को लेकर उच्चकोटि का फैसला करने के लिए नई पालन को दे। इस संबंध में मुख्यमंत्री सीएम अनिल कैबिनेट ने इन क्षेत्रों के उपस्थिति से पुनर्विकास कर उनके सामने पूरा पालन करा।

सीएम ने कहा कि हमने अनियमित औद्योगिक क्षेत्रों को नियमित करने के

- सीएम ने उपस्थिति से पुनर्विकास कर उनके सामने पूरा पालन
- नया- औद्योगिक क्षेत्रों में सुविधाएं सुनिश्चित करवाए जाएंगे

उपस्थिति करने को लिए में काम करने के लिए पालन को है, यदि इसे करने परामर्श किया गया। हमने इन सुविधा का तीन चरणों में पुनर्विकास करने के लिए केंद्र बनाया है। इन उपस्थिति

को बढ़ाए देने और अधिक विकास पैदा करने में मदद करने के लिए इन सभी सुविधा का संपूर्ण पुनर्विकास करने। सीएम ने कहा कि उपस्थिति के संपादन के लिए यह संपूर्ण सफल नहीं हो सकता है।

दिल्ली उपस्थिति में अनियमित क्षेत्रों में उपस्थिति को संपूर्ण सफल करने के लिए संपूर्ण पुनर्विकास के लिए केंद्र और संपूर्ण पुनर्विकास

के विकास किया। एक मोड पर कैबिनेट ने कहा कि अनियमित औद्योगिक क्षेत्रों में अनियमित सुविधाओं को सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली का विकास अनियमित क्षेत्रों से हुआ है। उपस्थिति को नियमित करने का यह चरणों में नियमित क्षेत्रों के लिए, नया नया भी उपस्थिति कर पालन करने के लिए कहा है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY LIBRARY PRESS CLIPPING SERVICE

THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI
SATURDAY, JULY 1, 2023

OF NEWSPAPERS

दैनिक जागरण

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 2023

DATED

On Day 1 of new housing scheme, DDA gets 1k queries

Vibha.Sharma@timesgroup.com

New Delhi: Delhi Development Authority (DDA) on Friday received over 1,000 queries at its call centre for Housing Scheme Phase IV, which was launched for registration at 5pm, said officials.

Under the 2023 scheme, DDA will offer 5,500 flats across the city on a first come, first served basis. The inventory includes 1-BHK flats in Narela, Siraspur, Rohini and Lok Nayak Puram (Pocket A), 2-BHK flats in Narela and Dwarka, and 3-BHKs in Jasola (Pocket 9B).

"While the scheme was launched on Friday evening, we started receiving queries since the morning, and over 1,000 queries were received by evening, which is 4-5 times more than the calls we get on a normal day. The booking of flats will be available from 12pm on July 10," said the official.

"People can visit the flats and junior engineers have been deputed to guide them. A person can then submit a booking amount of Rs 50,000 for EWS, Rs 1 lakh for LIG, Rs 4 lakh for MIG and Rs 10 lakh for HIG flats," said an official.

DDA said the lieutenant governor had instructed various measures to make the flats lucrative.

"Connectivity and security measures have been improved in Narela, with many infrastructure projects coming up in the sub-city. The price of most of the 1-BHK flats will be the same as those during Special Housing Scheme 2021 and others follow the 2022-23 pattern," said an official. Most of the flats are in Narela.

To further the central government's policy of ease of doing business, the scheme is fully online and all details are available on eservices.dda.org.in. "These flats are in ready-to-move-in condition," said the official.

डीडीए की 5623 फ्लैट वाली विशेष आवासीय योजना लांच



- पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर लोग ले सकेंगे अपनी पसंद का फ्लैट
- योजना में आवेदन को 10 फ्लैट पसंद कर जमा करनी होगी पंजीकरण राशि

>> डीडीए के द्वारका में बने फ्लैट ● जागरण आर्काइव

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली: दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने शुक्रवार को विशेष आवासीय योजना लांच कर दी। इस योजना में विभिन्न श्रेणी के कुल 5623 फ्लैट शामिल किए गए हैं। सभी फ्लैट पुरानी योजनाओं में बिकने से रोके रह गए थे। आवेदकों के रुझान को देखते हुए इस संख्या में इजाफा भी किया जा सकता है।

पहली बार इस योजना में एचआइजी और एमआइजी फ्लैट भी शामिल किए गए हैं। साथ ही डीडीए

ने अब तक लगी हुई रोक को हटाते हुए उस नियम को सरल बनाया है, जिससे पति, पत्नी या घर के किसी भी सदस्य के नाम पर दिल्ली में संपत्ति होने के बावजूद वे इस स्कीम में शामिल हो सकेंगे। इस विशेष योजना में शामिल होने के लिए 10 जुलाई तक फ्लैट को पसंद करके उसकी पंजीकरण राशि जमा करनी होगी। जिसके बाद बुकिंग (फ्लैट) की राशि को तय नियम पर जमा करना होगा।

किस श्रेणी के कहां कितने फ्लैट, क्या कीमत

- 3 बीएचके-कुल 41 फ्लैट-जसोला में (162.41 से 177.26 वर्ग मीटर), 208.4 लाख से 218 लाख

कुल 199 हैं 2 बीएचके फ्लैट-द्वारका और नरेला में

- 2 बीएचके द्वारका में (119.44 से 129.98 वर्ग मीटर) कीमत- 123 से 133 लाख रुपये, 2 बीएचके नरेला में (112.77 से 114.69 वर्ग मीटर)-कीमत 100.27 लाख रुपये

सर्वाधिक 5383 हैं 1 बीएचके फ्लैट्स

- नरेला में (49.9 वर्ग मीटर और 33.251 से 33.851 वर्ग मीटर)-कीमत 23.19 और 13.69 से 13.93 लाख रुपये
- रोहिणी में 33.29 से 33.854 वर्ग मीटर-कीमत 14.1 से 14.24 लाख रुपये
- सिरसपुर में 35.76 से 36.39 वर्ग मीटर-कीमत 17.41 से 17.71 लाख रुपये
- लोकनायकपुर में 42 से 44.46 वर्ग मीटर-कीमत 26.98 से 28.47 लाख रुपये
- नरेला में 35.5 और 46.71 से 54.08 वर्ग मीटर-10.92 से 12.54 लाख रुपये

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY LIBRARY PRESS CLIPPING SERVICE

हि हिन्दुस्तान

नई दिल्ली, शनिवार, 1 जुलाई 2023

DATED

10 जुलाई से बुकिंग शुरू होगी, पहले आओ-पहले पाओ के तहत मिलेगा मौका

फ्लैट के लिए पंजीकरण शुरू, खरीदने से पहले देख भी पाएंगे



नई दिल्ली, वरिष्ठ संवाददाता। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की चौथे चरण की आवासीय योजना के पंजीकरण शुक्रवार शाम 5 बजे से शुरू हो गए। फ्लैटों की बुकिंग 10 जुलाई दोपहर 12 बजे के बाद होगी। खास बात यह है कि इस बार आवेदक पंजीकरण से पहले और बाद में प्राथमिकता के अनुसार मौके पर जाकर फ्लैट देख सकते हैं।

पहले आओ, पहले पाओ योजना के तहत आवेदकों को नरेला में 923 इंडब्ल्यूएस फ्लैट, लोक नाथक पुरम, रोहिणी, सिरसपुर व नरेला में कुल 4,460 एलआईजी फ्लैट, नरेला और द्वारका में 199 एमआईजी फ्लैट और जसोला में 41 एचआईजी फ्लैट के लिए पंजीकरण करने का अवसर मिल रहा है। डीडीए प्रशासन का कहना है कि आवेदकों को डीडीए के अधिकारियों के नंबर व विभिन्न जगहों

24 घंटे बाद डिमांड कम अलॉटमेंट लेटर मिलेगा

इंडब्ल्यूएस फ्लैट
1 बीएचके
50
हजार रुपये



ऐसे करनी होगी बुकिंग

- 10 जुलाई दोपहर 12 बजे के बाद से विंडो खुलेगी
- फ्लैट का चयन करने के बाद वह वेबसाइट में मौजूद विंडो में लाल रंग के निशान के साथ नजर आएगा जिसके तहत डीडीए द्वारा अगले 15 मिनट के लिए उस फ्लैट को ब्लॉक कर दिया जाएगा। जिससे कोई अन्य आवेदक उसका चयन न कर सके
- फ्लैट का चयन करने के बाद, पेमेंट गेटवे खुलेगा। पेमेंट गेटवे के तहत बुकिंग शुल्क जमा कराना होगा
- बुकिंग शुल्क जमा कराने के लिए लोगों को 15 मिनट का समय मिलेगा
- यदि फ्लैटों का बुकिंग शुल्क जमा कराने में असमर्थ रहते हैं। तो ब्लॉक के किए फ्लैट को डीडीए प्रशासन की तरफ से फिर से खोल दिया जाएगा

ऐसे करें पंजीकरण

- डीडीए की वेबसाइट dda.org.in पर जाएं।
- डीडीए की पहले आओ, पहले पाओ आवासीय योजना के चौथा चरण के लिंक पर क्लिक करें।
- सर्कुलर में दी गई वेबसाइट eservices.dda.org.in पर जाएं।
- eservices.dda.org.in पर क्लिक कर लॉग इन आइकन पर क्लिक करके पंजीकरण कर सकते हैं।
- पंजीकरण के लिए के 1,180 रुपये शुल्क का भुगतान करना होगा।

पर मौजूद फ्लैटों की जानकारी निरीक्षण स्थल पर पहुंचकर उपलब्ध कराई जाएगी। बुकिंग रद्द व सरेंडर करने पर बुकिंग शुल्क नहीं लौटाया जाएगा।

अगले आदेश तक योजना जारी रहेगी : डीडीए के अगले आदेश तक आवासीय योजना जारी रहेगी। आवेदक अपनी प्राथमिकता के अनुसार 10

जुलाई के बाद भी इस आवासीय योजना के अधीन फ्लैटों का पंजीकरण करा सकते हैं और उसके बाद बुकिंग शुल्क भी जमा करा सकते हैं।

DDA की स्कीम लॉन्च होते ही बढ़िया रिस्पॉन्स, खूब आए कॉल

फ्लैट बुकिंग के लिए 10 जुलाई तक इंतजार

विशेष संवाददाता, नई दिल्ली

डीडीए की 'पहले आओ पहले पाओ' स्कीम को लेकर लोगों में दिलचस्पी देखने को मिल रही है। खास तौर पर एचआईजी और एमआईजी फ्लैट्स के बारे में लोग अधिक जानकारी ले रहे हैं। शुक्रवार को पहले दिन सुबह से इस स्कीम की जानकारी लेने के लिए डीडीए के कॉल सेंटर में 2000 से अधिक कॉल आ गए। डीडीए के अनुसार, 30 जून को शाम 5 बजे तक स्कीम के लिए रजिस्ट्रेशन खोले गए हैं। फ्लैट बुक करवाने के लिए लोगों को 10 जुलाई तक का इंतजार करना होगा। फ्लैट बुक करवाने के 24 घंटे के अंदर आवेदक को डिमांड कम अलॉटमेंट लेटर मेल पर जारी कर दिया जाएगा।

डीडीए की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शाम 5 बजे से शुरू होनी थी, लेकिन सुबह से ही वेबसाइट पर लोग इसकी जानकारी लेने के लिए पहुंच रहे थे। शाम 4 बजे के बाद डीडीए की वेबसाइट स्लो होनी शुरू हो गई। इससे रजिस्ट्रेशन करवाने वालों को परेशानियां हुईं। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 10 जुलाई के बाद भी जारी रहेगी, लेकिन फ्लैट्स तभी उपलब्ध होंगे जब उन्हें किसी ने बुक नहीं करवाया होगा।

अच्छी रही ओपनिंग

- पहले ही दिन स्कीम की जानकारी लेने के 2000 से अधिक कॉल आए
- शाम 5 बजे के बाद स्लो हो गई डीडीए की वेबसाइट
- अभी होंगे रजिस्ट्रेशन, 10 जुलाई से होगी फ्लैट की बुकिंग
- बुक करवाने के बाद बुकिंग अमाउंट नहीं मिलेगा वापस



बुकिंग अमाउंट नहीं मिलेगा वापस

डीडीए ने साफ किया है कि बुकिंग अमाउंट जमा करने से पहले लोग अच्छी तरह सोच-विचार कर लें। चूंकि आवेदक फ्लैट को सरेंडर या कैसल करते हैं, तो बुकिंग अमाउंट जब्त कर लिया जाएगा। यह वापस नहीं होगा। डीडीए के अनुसार, यह व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि फ्लैट वही लोग बुक करवाएं जो वाकई इसे खरीदना चाहते हैं। 1 बीएचके (ईडब्ल्यूएस) के लिए 50 हजार, 1 बीएचके (एमआईजी) के लिए एक लाख, 2 बीएचके लिए 4 लाख और 3 बीएचके लिए 10 लाख की अमाउंट है।

फेक साइटों से दूर रहने की सलाह

डीडीए ने साफ किया है कि डीडीए की आधिकारिक वेबसाइट <https://eservices.dda.org.in/> या <https://dda.gov.in> पर ही जाएं। अन्य किसी फर्जी वेबसाइट से स्कीम की जानकारी न लें। पिछले कुछ समय से इस तरह की फर्जी वेबसाइट पर डीडीए के नाम पर फ्रॉड चल रहे हैं। इसलिए वेबसाइट को डबल चेक कर लें। साथ ही, फ्लैट बुकिंग के लिए किसी एजेंट या अन्य व्यक्ति की मदद नहीं लें। प्रक्रिया काफी आसान है। मदद के लिए 1800110332 पर फोन किया जा सकता है।

हिन्दुस्तान

नई दिल्ली
रविवार
2 जुलाई 2023

फ्लैटों की जानकारी को आए दो हजार कॉल

नई दिल्ली। डीडीए के कॉल सेंटर में शुक्रवार और शनिवार को दो हजार लोगों ने फ्लैटों की जानकारी के लिए कॉल किया। डीडीए के वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार शुक्रवार शाम 5 बजे से पहले आओ-पहले पाओ के चौथे चरण की आवासीय योजना के लिए पंजीकरण शुरू हो गया। दो दिनों में लोगों ने ईडब्ल्यूएस, एलआईजी, एमआईजी और एचआईजी फ्लैटों की जानकारी के लिए फोन किया। नरेला, लोकनायक पुरम, रोहिणी, सिरसपुर, नरेला, द्वारका और जसोला के फ्लैटों के बारे में जानकारी मांगने के लिए दो हजार कॉल डीडीए के कॉल सेंटर पर आए।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY LIBRARY PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPER THE INDIAN EXPRESS, SATURDAY, JULY 1, 2023

5,623 flats on offer as DDA housing scheme opens for registration

UPASIKA SINGHAL
NEW DELHI, JUNE 30

THE DELHI Development Authority (DDA) Friday launched 5,623 flats in Jasola, Dwarka, Narela, Lok Nayak Puram, Siraspur and Rohini under its First Come First Served (FCFS) scheme. Registration started from 5 pm, while booking of flats will be available on July 10 from 12 pm.

Applicants can register on the DDA website after paying Rs 1,180. After checking the flats' size, layout, location and cost, the applicant can book the flat after paying booking amount, which will vary depending on the size and category of the flat. For instance, the booking fees for a 1BHK EWS flat is Rs 50,000 but for a 1BHK LG

flat is Rs 1 lakh. Similarly, the booking amount for a 2BHK MIG flat is Rs 4 lakh and Rs 10 lakh for a 3BHK HIG flat. Narela has the maximum number of flats allotted, with 149 2BHKs and 3,413 1BHKs. The 3BHK flats in Jasola have been priced the most — around Rs 2.08 to 2.18 crore — whereas the 1BHK EWS flats in Narela are priced the lowest, around Rs 9.89 lakh.

To improve security and connectivity, the DDA has allotted land to Delhi Police for opening more police stations in the area and has increased the frequency of DTC buses. A metro line has also been proposed. The DDA has also allotted land to the Delhi government for six higher secondary schools, a sports complex and a dispensary.

UP FOR GRABS IN SIX LOCALITIES ACROSS CAPITAL

JUNE 30: Registration starts from 5 pm

JULY 10: Booking of flats will be available from 12 pm

ON OFFER:

41 3BHK Higher-Income Group flats in Jasola

199 2BHK Middle-Income Group flats in Dwarka and Narela

5,383 1BHK Lower-Income Group and Economically Weaker Section flats in Narela, Rohini, Siraspur and Lok Nayak Puram

HOW TO APPLY:

- Visit <https://eservices.dda.org.in/>
- Register yourself, pay registration fees of Rs 1,180
- Check out flat's size, layout, location and cost
- Book the flat
- Pay booking fees within 15 minutes



Booking of flats will be available on July 10. Archive

HOW TO PAY FOR THE FLAT:

- Receive flat allotment within 24 hours of booking
- To avail interest free payment, pay the amount within first 60 days
- 11% interest to be levied for 30 days after the initial 60 days
- Allotment will be cancelled if no payment within 90 days

नवभारत टाइम्स | नई दिल्ली | सोमवार, 3 जुलाई 2023

लैंड पूलिंग पॉलिसी : लोगों को सता रहा तोड़फोड़ का डर

■ राजेश पोद्दार, आउटर दिल्ली

दिल्ली में लैंड पूलिंग पॉलिसी के तहत P2 जोन में बनी अवैध कॉलोनियों में पिछले दिनों डीडीए की तरफ से तोड़ा गया था। ऐसे में अब P1 जोन में रहने वालों को भी यह डर सताने लगा है। डीडीए ने P2, P1 और N जोन में बोर्ड लगाए हैं, जिससे यहां पर लोग बिल्डरों के झंसे में ना आए और उन जमीनों को ना खरीद सके। वहीं जानकारों का कहना है कि डीडीए दूसरे इलाकों को भी चिह्नित करें और वहां बोर्ड भी लगाए।

डीडीए के अधिकारी और जानकार बताते हैं कि यमुना पुश्ते और हाइवे के बीच का परिया P2 जोन में आता है, जहां तोड़फोड़ की गई है। अब P1 जोन पर काम शुरू होगा, जो दिल्ली-पानीपत हाइवे के दूसरी तरफ है। इसके तहत अलीपुर, घोणा, और नरेला जैसे क्षेत्र आते हैं। वहीं N जोन में बवाना, घेवरा सहित अन्य इलाकों में आज भी बड़े स्तर पर अवैध निर्माण हो रहे हैं। दिल्ली देहात विकास मंच में दिल्ली मास्टर



लगाए गए हैं बोर्ड

- पिछले दिनों पॉलिसी के तहत P2 जोन में हुई थी कार्रवाई
- P1 और N जोन में लगाए गए बोर्ड, भूमिफिया उठाते हैं फायदा

प्लान कमेटी के प्रधान भूपेंद्र बाजाड ने आरोप लगाया कि अधिकारियों की मिलीभगत से हो रहे इस अवैध निर्माण को डीडीए से इलाकों को भी चिह्नित किया जाए।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY LIBRARY PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPER **Hindustan Times** DATED

NEW DELHI
MONDAY
JULY 03, 2023

DDA to allow merging flats in latest plan

HT Correspondent

letters@hindustantimes.com

NEW DELHI: The Delhi Development Authority (DDA) on Sunday said that it will allow merging two flats offered under the ongoing 'first come, first serve' scheme for allotting 5,600 flats.

Officials said that this has been done to give applicants flexibility to modify and increase living area in the flats allotted to them.

"If an applicant happens to buy two adjacent flats on offer in this scheme of FCFS Phase IV, he has the liberty of amalgamating the two by opening a common door through the common wall between them, subject to necessary structural approvals," said a DDA spokesperson.

Officials added that this is applicable to all localities and all types of flats on offer under the scheme. The offer will also be extended to applicants who buy a new flat adjacent to a flat which they already own from an earlier scheme.

DDA launched the housing scheme for over 5,600 flats across all categories at various locations in the national capital on June 30. Under the scheme, 1BHK flats are available in Narela, Siraspur, Rohini and Lok nayak Puram; 2BHK units have been offered in Narela and Dwarka while 3BHK flats are available in Jasola.

According to senior DDA offi-

THIS IS APPLICABLE TO ALL LOCALITIES AND ALL TYPES OF FLATS ON OFFER IN THE SCHEME

cial, EWS and LIG segment are being given priority in this housing scheme. Flat prices have been fixed for these with categories with discounts. Applicants for booking and registration of EWS flat will have to provide income certificate of the entire family for less than ₹10 lakh.

Applicants can log in to the DDA website and register to get scheme details. They have 10 days to visit the sample flats in all locations, following which the booking of flats will be available from 12pm on July 10.

Officials said that the scheme is already receiving good response from the public and around 4000 registrations have been made so far. According to DDA official, EWS category people can book the flat by giving ₹50,000 as booking amount, LIG in ₹1 lakh, MIG in ₹4 lakh while, HIG can book the flat in ₹10 lakh. The price of HIG flats in Jasola Vihar ranges from ₹2.08 crore to ₹2.18 crore. The price of MIG flat in Dwarka ranges from ₹1.25 crore to ₹1.35 crore. While the cost of LIG flats in Narela and Rohini is ₹15 lakh, ₹17 lakh in Siraspur and ₹30 lakh in Lok Nayakpuram.



Flats are on offer at Jasola, Narela and Rohini.

HT ARCHIVE



Buildings in Mukherjee Nagar's Signature View Apartments were declared dangerous.

SANCHIT KHANNA/HT PHOTO

Signature View residents 'agree' with DDA's deal

Snehil Sinha

snehil.sinha@hindustantimes.com

NEW DELHI: A general body meeting of the members of the Residents' Welfare Association (RWA) of Signature View Apartments in north Delhi's Mukherjee Nagar was held on Sunday to reach an agreement on the options presented to them by the Delhi Development Authority (DDA).

Built in 2010, the apartment complex has been declared dangerous for residential purposes, and ordered to be dismantled following complaints of cracks in beams, walls, roof and balconies, in addition to falling plaster in washrooms and kitchens.

According to RWA members, majority of residents have informally consented to choose DDA's 'reconstruction' option.

"Once DDA sends the agreement copy, each flat owner will consent to one of the two options. We could not reach a consensus on this, but 90% of the residents prefer the reconstruction offer for two reasons. First, buyback option rates are lower than the market value of our apartments. Second, the new structure will be stronger, with more facilities such as a clubhouse, which we did not have," said Amrendra Jha, president of SVA RWA.

Earlier this year, Delhi lieutenant governor VK Saxena asked DDA to 'vacate and dismantle' the 12 towers of Signature View Apartment after an IIT-Delhi report deemed them unsafe for habitation. Earlier, residents rejected DDA's offer to evacuate the buildings, claiming that the rent being offered was lower than the rates in the area, and that DDA planned to build over 250 additional flats in the same space.

DDA has now provided flat owners with two options. They

can 'buyback', which means they can hand over the flat and receive an amount comparable to its market value from DDA. Alternatively, flat owners can choose 'reconstruction', in which DDA will reconstruct the building while paying a rent until new flats are ready.

On Sunday, flat owners reached a consensus on two of the terms of the agreement shared by DDA last week. One of the offers was to increase the balcony size by two metres for an additional fee. The second agreement was on the number of additional flats DDA would add to the society based on current building standards.

"Residents agree that the balcony size should be increased as it would cost approximately ₹2 lakh more, which most residents are willing to pay. DDA also gave us two options for increasing the number of flats. We have agreed to the one with 168 additional flats," said Jha.

Gaurav Pandey, general secretary, SVA RWA, said DDA will add 168 flats to the society, including 144 servant quarter units or EWS flats, which will be built as additional towers alongside the clubhouse and community centre. "In addition to the 144 EWS units, they will build 24 more flats. DDA needed a consensus on these two terms, balcony extension and the number of additional flats, before making a final offer," said Pandey.

According to DDA officials, the final agreement is being drafted and will be offered soon.

"This proposal will be implemented only after each of the 336 allottees has given written consent to exercise one of the two options. Every flat owner will also be required to submit an undertaking and an indemnity bond stating that their flat is free from all encumbrances," said a DDA official.

दो फ्लैट खरीदकर आप 'एक घर' बना सकते हैं



बड़ी तादाद में लोग पहुंच रहे DDA के फ्लैट देखने

पहले सैंपल देखें, फिर 10 से बुक कराएं फ्लैट

■ विशेष संवाददाता, नई दिल्ली

डीडीए की पहले आओ पहले पाओ स्कीम में पहले अभी फ्लैट्स की बुकिंग शुरू नहीं हुई है, लेकिन लोकेशन पर फ्लैट्स देखने वालों की संख्या काफी अधिक है। संडे के दिन कई जगहों पर लोगों ने फ्लैट्स देखने में दिलचस्पी ली। हर साइट और टावर पर दो सैंपल फ्लैट डीडीए ने तैयार करवाए हैं। इन्हें देखने के बाद लोग 10 जुलाई से फ्लैट की बुकिंग करवा सकेंगे।

डीडीए ने सभी 12 लोकेशन पर दो सैंपल फ्लैट्स तैयार किए हैं। जहां अधिक फ्लैट्स हैं उनमें चार फ्लैट्स भी तैयार किए गए हैं। दो फ्लैट्स पर एक अधिकारी नियुक्त किया गया है। इनके मोबाइल नंबर ब्रोशर पर दिए गए हैं। इसलिए फ्लैट्स देखने से पहले इनसे कॉन्टैक्ट कर आप पहले से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं।

सैंपल फ्लैट्स हैं तैयार

डीडीए ने इस बार एक कदम आगे बढ़ते हुए प्राइवेट विल्डरों की तर्ज पर सैंपल फ्लैट्स तैयार किए हैं। एक सैंपल फ्लैट फर्निशड है और दूसरा अनफर्निशड है। फर्निशड सैंपल फ्लैट्स में बेड, डाइनिंग टेबल, स्टडी टेबल आदि लगाए गए हैं। डीडीए अधिकारियों के अनुसार मकसद सिर्फ इतना है कि लोगों को पता चल सके कि



अलग से भी लगेगा चार्ज

इन फ्लैट्स के लिए कनवर्जन और वॉटर कनेक्शन चार्ज अलग से देना होगा। ब्रोशर पर दी गई फ्लैट की कीमत अनुमानित है। फ्लैट की असली कीमत डिमांड कम अलॉटमेंट लेटर पर बताई जाएगी। इन कीमतों में ब्रोशर की कीमत से बहुत अधिक अंतर नहीं होगा। डीडीए से मिली जानकारी के अनुसार यदि आवेदक ने ईडब्ल्यूएस कंटेनर के फ्लैट बुक करवाए तो उसे इसके लिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी देना होगा।

वेड लगाने के बाद रूम में कितनी जगह बच रही है। अभी लोगों का एक माइंडसेट है कि डीडीए के फ्लैट छोटे हैं। रोहिणी, नरेला, जसोला, द्वारका की लोकेशन से पता चला है कि हर दिन करीब 50 से 200 कॉल आ रही हैं।

कितना होगा कनवर्जन चार्ज

पहले आओ पहले पाओ स्कीम के तहत डीडीए ने सभी 12 लोकेशन और हर टावर पर 2 सैंपल फ्लैट्स तैयार किए हैं	लोकेशन	1bhk	2bhk	3bhk
नरेला	28,080	39,825	58,590	
रोहिणी	28,080	39,825	58,590	
लोकनायकपुरम	28,080	39,825	58,590	
सिरसपुर	28,080	39,825	58,590	
जसोला	37,530	53,055	78,030	
द्वारका	37,530	53,055	78,030	

(इसके अलावा सभी कंटेनर के फ्लैट्स के लिए 2000 रुपये वॉटर कनेक्शन चार्ज के भी लिए जाएंगे)

DDA ने दिया अगल-बगल के दो फ्लैट खरीदने का भी ऑप्शन

■ विशेष संवाददाता, नई दिल्ली

हाल में लॉन्च हुई डीडीए की 'पहले आओ, पहले पाओ' स्कीम में लोगों को एक खास ऑप्शन भी दिया जा रहा है। अधिकारियों के मुताबिक, लोग इस ऑप्शन के तहत अगल-बगल के दो फ्लैट खरीदकर अपने घर का साइज बढ़ा भी सकते हैं। स्कीम के तहत अभी तक चार हजार से अधिक रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं।

डीडीए ने बताया कि फेज-4 की 'फर्स्ट कम, फर्स्ट सर्व' स्कीम में लोग यदि साथ में लगते हुए दो फ्लैट लेते हैं तो उन्हें यह छूट होगी कि वह इन फ्लैट की कॉमन दीवार पर दरवाजा निकाल सकते हैं। इससे दोनों फ्लैट आपस में जुड़ जाएंगे। हालांकि इसके लिए लोगों को जरूरी स्ट्रक्चरल अप्रूवल लेने होंगे। मिली जानकारी के अनुसार हर सेगमेंट के फ्लैट पर यह सुविधा उपलब्ध है। इतना ही नहीं यदि किसी के पास डीडीए की पिछली

खास बातें

- 5500 के करीब फ्लैट्स हैं इस स्कीम में
- 30 जून को डीडीए ने इसे लॉन्च किया है
- 10 जुलाई से लोग फ्लैट बुक करवा सकेंगे

स्कीम का फ्लैट है, तो वह भी इस स्कीम में उसके बगल वाले फ्लैट को बुक करवा सकता है। दोनों फ्लैट को मर्ज करवाने का ऑप्शन उसके पास भी उपलब्ध रहेगा। अभी चल रही रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया : डीडीए की 5500 के

करीब फ्लैट्स की यह स्कीम 30 जून को लॉन्च हुई है। इस स्कीम में अभी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया चल रही है। 10 जुलाई से लोग फ्लैट बुक करवा सकेंगे। स्कीम के तहत वन बीएचके फ्लैट नरेला, सिरसपुर, लोकनायक पुरक और रोहिणी में हैं। वहीं टू बीएचके फ्लैट नरेला और द्वारका में और थ्री बीएचके फ्लैट जसोला में उपलब्ध हैं।

LIG को बेचने के लिए चला दांव : डीडीए ने नरेला में एलआईजी के फ्लैट्स बेचने के लिए यह दांव खेला है। नरेला, सिरसपुर, लोकनायकपुरम, रोहिणी में बने वन बीएचके फ्लैट्स लोगों को छोटे साइज की वजह से परसंद नहीं आ रहे हैं। ऐसे में डीडीए को उम्मीद है कि इस दांव की वजह से इन फ्लैट्स को रिस्पांस मिल सकता है। वहीं टू बीएचके और थ्री बीएचके फ्लैट्स में लोगों की दिलचस्पी तो है, लेकिन लोग इन्हें काफी महंगा बता रहे हैं।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY LIBRARY PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPER

हिन्दुस्तान

खं पेंड्री
लेंकड
१ इण्ड्री २००३

DATE

रोडट दिल्ली विकास प्राधिकरण में आवासीय कोषों पर प्रस्तावित की, संरचनात्मक कामों में परिवर्तन करने के लिए अनुमति लेनी होगी, जफरतों में कड़ा-कड़ा का नया आवक बंधों पर

दो फ्लैट आपस में जोड़ सकेंगे खरीदार आवास को लेकर असमंजस की स्थिति

दो फ्लैटों के बीच में खरीदारों को जोड़ने का प्रस्ताव दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने एक नए अधिनियम की धारा 107 के तहत किया है। यह अधिनियम 1974 के अधिनियम की धारा 107 के तहत बनाया गया था।

यह अधिनियम 1974 के अधिनियम की धारा 107 के तहत बनाया गया था। यह अधिनियम 1974 के अधिनियम की धारा 107 के तहत बनाया गया था।



दो फ्लैटों के बीच में खरीदारों को जोड़ने का प्रस्ताव दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने एक नए अधिनियम की धारा 107 के तहत किया है।

यह अधिनियम 1974 के अधिनियम की धारा 107 के तहत बनाया गया था। यह अधिनियम 1974 के अधिनियम की धारा 107 के तहत बनाया गया था।

लंगघोले
दो फ्लैटों के बीच में खरीदारों को जोड़ने का प्रस्ताव दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने एक नए अधिनियम की धारा 107 के तहत किया है।

दो फ्लैटों के बीच में खरीदारों को जोड़ने का प्रस्ताव दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने एक नए अधिनियम की धारा 107 के तहत किया है।

यह अधिनियम 1974 के अधिनियम की धारा 107 के तहत बनाया गया था। यह अधिनियम 1974 के अधिनियम की धारा 107 के तहत बनाया गया था।

यह अधिनियम 1974 के अधिनियम की धारा 107 के तहत बनाया गया था। यह अधिनियम 1974 के अधिनियम की धारा 107 के तहत बनाया गया था।

यह अधिनियम 1974 के अधिनियम की धारा 107 के तहत बनाया गया था। यह अधिनियम 1974 के अधिनियम की धारा 107 के तहत बनाया गया था।

यह अधिनियम 1974 के अधिनियम की धारा 107 के तहत बनाया गया था। यह अधिनियम 1974 के अधिनियम की धारा 107 के तहत बनाया गया था।

यह अधिनियम 1974 के अधिनियम की धारा 107 के तहत बनाया गया था। यह अधिनियम 1974 के अधिनियम की धारा 107 के तहत बनाया गया था।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY LIBRARY PRESS CLIPPING SERVICE

THE INDIAN EXPRESS, MONDAY, JULY 3, 2023

THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI
MONDAY, JULY 3, 2023

Under electronic city project, govt plans to develop AI hub

GAYATHRI MANI
NEW DELHI, JULY 2

THE DELHI government is in the process of re-working its electronic city policy — among the big projects proposed in the Rozgar Budget last year — to explore the possibility of developing an Artificial Intelligence (AI) hub in Baprola Vihar.

The 'Delhi Electronic System, Design and Manufacturing System' (ESDMR) policy aims to boost the capital's economy by creating more jobs for people as well as developing the city as a hub for high-end electronics and as a refurbished electronics market.

Said an official, "AI is being used in all platforms now, from education to maintaining roads. So, we are planning to set up an AI hub with agencies having patent AI technologies. The plan is in its initial stage but work is going on."

According to officials, a meeting was held on June 8 to discuss the challenges, financial

implications and other issues related to land and the policy.

Officials said, "Comments on the 'Delhi Electronic System Design, Manufacturing, and Refurbishment Policy 2022-27', as shared by the Dialogue and Development Commission of Delhi (DDCD), for the perusal of the Minister of Industries, GNCTD, were sought from the Industries department and DSI-IDC. The policy was prepared for five years. A meeting was held to review comments of the department concerned and it was directed that suitable amendments be made to the Draft ESDMR Policy for further circulation and comments from stakeholder departments."

They further said, "It was also deliberated that the draft policy may be re-looked at and the possibility of developing an Artificial Intelligence Hub be explored. The draft policy is awaited from the DDCD."

Officials said the government is planning to develop the Electronic City on a public-private partnership model, and

there is also a plan to give the land parcels on lease for 30 years. "The DSIIDC will completely develop the project on a PPP model. For the 30-year concession period, the total rent will be over Rs 5,287 crore," officials said

Further, officials said the government has sent a file to the Delhi Development Authority seeking clearance for land use in Baprola.

As living and labour costs are high in Delhi, the government is also planning some incentives. Officials said they are seeking permission from the Government of India, through the UD Department, for utilising flats built under JNNURM in the vicinity for the industrial workers of the complex.

Officials said the government will face a loss of Rs 100 crore towards stamp duty exemption on first-time lease to the units.

They also added that a Rs 250-crore budget will be required for this project for five years.

Amalgamation of two flats allowed under DDA's scheme

TIMES NEWS NETWORK

New Delhi: To give applicants the flexibility to increase the size of their flats, Delhi Development Authority (DDA) has allowed amalgamation of two flats offered under the ongoing First Come First Served (FCFS) housing scheme.

"If an applicant happens to buy two adjacent flats in this scheme of FCFS phase IV, they have the liberty of amalgamating the two by opening a common door through the common wall between them, subject to necessary structural approvals," said the DDA in a statement.

This is applicable to all localities and all types of flats. "In fact, if an applicant happens to buy a flat adjacent to a flat which they already own from an earlier scheme, the principles of amalgamation will be applicable in those cases too," said DDA officials.

DDA launched a housing scheme on a first-come first-served basis for over 5,500 flats across all categories at various locations in the national capital on June 30.

Under the scheme, 1BHK flats have been offered in Narela, Siraspur, Rohini, Lok Nayak Puram; 2BHK in Narela and Dwarka; while 3BHK flats in Jasola. Bookings will be available from 12 pm on July 10.

"We are giving people the option to visit the flats and have deputed officials to guide them. The booking amount is Rs 50,000 for an EWS flat, Rs 1 lakh for LIG, Rs 4 lakh for MIG, and Rs 10 lakh for an HIG flat," said a senior DDA official.

Around 4,000 registrations have been made so far, said the authority. For the convenience of the public, the scheme is made completely online. "Interested persons can check all relevant details at <https://eservices.dda.org.in>," said the official.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY LIBRARY PRESS CLIPPING SERVICE

IV दैनिक जागरण नई दिल्ली, 3 जुलाई, 2023

ERS

DATED

डीडीए ने दो फ्लैटों को आपस में जोड़ने की दी अनुमति

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने 'पहले आओ पहले पाओ' आवासीय योजना में आकार बढ़ाने के लिए दो फ्लैटों को आपस में जोड़ने की अनुमति दे दी है। मतलब यह है कि इस योजना में यदि कोई आवेदक एक साथ सटे दो फ्लैट खरीदता है तो आवश्यक संरचनात्मक मंजूरी की शर्त पर वह दीवार में दरवाजा निकालकर दोनों फ्लैटों को आपस में जोड़ सकता है।

डीडीए अधिकारियों के अनुसार, यह नियम इस योजना में शामिल सभी स्थानों पर व सभी प्रकार के फ्लैटों पर लागू होगा। यदि किसी आवेदक के पास पहले से पिछली स्कीम का कोई फ्लैट हो और वह उससे सटा हुआ फ्लैट खरीदता है तो यह नियम उस मामले में भी लागू होगा। डीडीए ने 30 जून को ही दिल्ली के विभिन्न इलाकों में सभी श्रेणियों के 5,500 से अधिक फ्लैटों के लिए 'पहले आओ पहले पाओ' आधार पर आवासीय योजना आरंभ की है। इस योजना में नरेला,



डीडीए आवासीय योजना के तहत रोहिणी में बने फ्लैट • जागरण आर्काइव

- 30 जून को लांच, 'पहले आओ, पहले पाओ' योजना के फ्लैटों पर लागू होगी यह छूट
- योजना को लेकर लोगों का सकारात्मक रुख, दो दिन में हुए चार हजार से अधिक पंजीकरण

सिरसपुर, रोहिणी, लोकनायक पुरम में एक, नरेला और द्वारका में दो, जबकि जसोला में तीन कमरों वाले फ्लैट शामिल किए गए हैं। इन फ्लैटों की बुकिंग 10 जुलाई तक की जा सकेगी। इस योजना के प्रति आम जनता का काफी सकारात्मक रुख भी देखने को मिल रहा है। दो ही दिन में 4000 से अधिक पंजीकरण हो चुके हैं। संबंधित >> जागरण सिटी

डीडीए फ्लैट के लिए ब्रोशर में दी कीमत से ज्यादा चुकाने होंगे दाम

संजीव गुप्ता • नई दिल्ली

अगर आप दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की 'पहले आओ, पहले पाओ' योजना के लिए आवेदन कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि पोर्टल पर ब्रोशर में प्रदर्शित किसी भी श्रेणी के फ्लैट की कीमत अंतिम नहीं, अनुमानित है। आवंटन के बाद आपको इससे ज्यादा राशि का भुगतान करना पड़ सकता है।

डीडीए के अधिकारियों के अनुसार फ्लैट की कीमतें तय करते हुए मुख्य तौर से उस पर आई लागत की ही गणना की जाती है। इसमें विभिन्न विभागीय शुल्क शामिल नहीं होते। ऐसे में जब सफल आवेदकों को मांग / आवंटन पत्र में ब्रोशर से कुछ अलग कीमत

• जारी होने वाले मांग-आवंटन पत्र में कीमत हो सकती है कुछ अधिक

• कन्वर्जन चार्ज व पानी के कनेक्शन का शुल्क भी देना होगा अलग से

• ईडब्ल्यूएस श्रेणी वालों को जमा करना होगा प्रमाणपत्र



डीडीए आवासीय योजना के तहत द्वारका में बने फ्लैट • जागरण आर्काइव

किस जगह, श्रेणी में कितना कन्वर्जन चार्ज	1 बीएचके	2 बीएचके	3 बीएचके
जगह			
नरेला	28,080	39,825	58,590
रोहिणी	28,080	39,825	58,590
लोकनायकपुरम	28,080	39,825	58,590
सिरसपुर	28,080	39,825	58,590
जसोला	37,530	53,055	78,030
द्वारका	37530	53,055	78,030



जसोला में बने फ्लैट • जागरण आर्काइव

देखने को मिल सकती है। इतना जरूर है कि यह अंतर हजारों में ही होता है।

डीडीए अधिकारियों ने बताया कि फ्लैट की कीमत के साथ कन्वर्जन

चार्ज और पानी के कनेक्शन का शुल्क भी अलग से देना होगा। बताया जाता है कि कन्वर्जन जहां हर श्रेणी में जगह के अनुरूप अलग होगा, वहीं पानी के कनेक्शन का

शुल्क सभी श्रेणियों में एक सा दो हजार रुपये होगा। डीडीए से मिली जानकारी के अनुसार अगर आवेदक ने ईडब्ल्यूएस श्रेणी में फ्लैट बुक करवाया है तो उसे इसके लिए

ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र भी देना होगा। यदि वह ऐसा नहीं करता तो उसका आवंटन रद्द कर दिया जाएगा और इसके लिए दी गई बुकिंग राशि भी जब्त कर ली जाएगी।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY LIBRARY PRESS CLIPPING SERVICE

पंजाब केसरी

DELHI

1 जुलाई, 2023

PERS

DATED

रोजगार के अवसर...

सीएम केजरीवाल ने इन क्षेत्रों के उद्यमियों से की मुलाकात, उनके सामने रखा पूरा प्लान

नॉन कंफर्मिंग औद्योगिक क्षेत्रों में लाखों रोजगार पैदा करेगी केजरीवाल सरकार

पहले चरण में लेआउट, दूसरे चरण में बुनियादी ढांचे और तीसरे चरण में विकसित होंगी सार्वजनिक सुविधाएं

डीडीए जरूरी सुविधाएं नहीं मुहैया करा पाया...

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): केजरीवाल सरकार ने नॉन कंफर्मिंग इंडस्ट्रीयल एरिया को विश्वस्तरीय पहचान देने के लिए एक बड़ी पहल की है। इस पहल के तहत इन क्षेत्रों का संपूर्ण पुनर्विकास किया जाएगा। इससे न सिर्फ दिल्ली की अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिलेगी बल्कि लाखों रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। इस संबंध में शुक्रवार को सीएम अरविंद केजरीवाल ने इन क्षेत्रों के उद्यमियों से मुलाकात कर पूरा प्लान रखा। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमने नॉन कंफर्मिंग इंडस्ट्रीयल एरिया को कंफर्मिंग ज़ोन में तब्दील करने की दिशा में काम करने के लिए बड़ी पहल की है, ताकि इसे सही पहचान मिल सके। हमने इन एरिया का तीन चरणों में पुनर्विकास करने के लिए पॉलिसी बनाई है। हम उद्योगों को बढ़ावा देने और अधिक रोजगार पैदा करने में मदद करने के लिए इन सभी एरिया का संपूर्ण पुनर्विकास करेंगे।



नॉन कंफर्मिंग इंडस्ट्रीयल एरिया में पुनर्विकास कार्य नहीं हुआ

सीएम ने कहा कि डीडीए ने लगभग दो दशक पहले एक आदेश जारी किया कि दिल्ली में जितने भी नॉन कंफर्मिंग नोटिफाइड इंडस्ट्रीयल एरिया हैं, वो अपना लेआउट प्लान बनाकर खुद अपना पुनर्विकास करें या फिर इसे एमसीडी से कराएं। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें नॉन कंफर्मिंग इंडस्ट्रीयल क्षेत्रों के अंदर अपनी इंडस्ट्री को बंद करना पड़ेगा। इस आदेश को आए हुए भी लगभग 20 साल बीत चुके हैं, मगर आज तक न तो इन इंडस्ट्री का कोई लेआउट प्लान बना है और न ही कोई पुनर्विकास हुआ है।

दिल्ली के ये हैं नॉन कंफर्मिंग इंडस्ट्रीयल एरिया

दिल्ली में कुल 26 नॉन कंफर्मिंग इंडस्ट्रीयल एरियाज हैं जिसमें आनंद पर्वत, शाहदरा, समयपुर बादली, जवाहर नगर, सुल्तानपुर माजरा, हस्तसाल पॉकेट-ए, हस्तसाल पॉकेट-डी, नरेश पार्क एक्सटेंशन, लिबासपुर, पीरागढ़ गांव, खयाला, शालामार गांव, न्यू मंडोली, नवादा, रिटाला, स्वर्ण पार्क मुंडका, हैदरपुर, कराल नगर, डाबरी, बसईं दारापुर, प्रहलादपुर बागर, मुंडका उद्योग नगर दक्षिण, फिरनी रोड मुंडका, रनहोला, नंगली सकरवाती और टिकरी कला शामिल हैं।

सीएम ने कहा कि दिल्ली का विकास बहुत ही अनियोजित तरीके से हुआ है। दिल्ली में कोई प्लानिंग नहीं हुई। लोगों को जहां जगह मिलती गई, वे बसते गए। लोगों ने कहीं अपने मकान बनाए तो कहीं दुकानें और इंडस्ट्री शुरू कर दी। ऐसे में डीडीए की यह जिम्मेदारी थी कि वो इंडस्ट्री और रिहायशी इलाकों के लिए अलग से जगह की प्लानिंग करे और लोगों के लिए घर व दुकान बनाने के लिए जगह दे। मगर जिस तेजी से दिल्ली का विस्तार हुआ, उतनी तेजी से डीडीए जरूरी सुविधाएं मुहैया नहीं करा पाया।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY LIBRARY PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS **अमर उजाला** शनिवार, 1 जुलाई 2023

मौका

पहले आओ-पहले पाओ : 10 जुलाई को दोपहर 12 बजे तक कराया जा सकता है पंजीकरण

डीडीए ने लॉन्च की 5623 फ्लैटों की योजना

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। डीडीए ने शुक्रवार को पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर विभिन्न श्रेणी के 5623 फ्लैटों की आवासीय योजना लॉन्च की है।

इस योजना के तहत फ्लैट खरीदने के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है और 10 जुलाई को दोपहर 12 बजे तक पंजीकरण कराया जा सकता है। इसके बाद फ्लैटों का आवंटन होगा। पंजीकरण व आवंटन की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। इस योजना के तहत नरेला, द्वारका, रोहिणी, लोक नायक पुरम एवं जसोला में फ्लैट उपलब्ध हैं।

डीडीए के अनुसार, इस योजना के तहत मकान से वंचित लोगों के साथ-साथ वे



फ्लैटों के आवेदन की राशि

श्रेणी	आवेदन राशि (रुपये में)
वन बीएचके	50000
वन बीएचके	100000
दू बीएचके	400000
थ्री बीएचके	1000000

लोग भी आवेदन कर सकते हैं, जिनके पास 67 वर्गमीटर से बड़ा फ्लैट या फिर

साइट पर सभी जानकारियां

डीडीए ने कहा है कि योजना के तहत आवेदन करने वालों के लिए साइट <https://eservices.dda.org.in/> पर फॉर्म डाउनलोड कर दिया है। इसके साथ ही फ्लैट का क्षेत्रफल, जगह एवं लागत को साइट पर देखा जा सकता है। इस तरह आवेदक अपनी पसंद का फ्लैट बुक कर सकते हैं। इस आवासीय योजना में शामिल अधिकांश फ्लैट नरेला में उपलब्ध हैं।

प्लॉट पहले से उपलब्ध है। दरअसल डीडीए की पिछली चार आवासीय योजनाएं फ्लॉप हो चुकी हैं, क्योंकि पहले डीडीए की योजना केवल मकान नहीं होने वाले लोगों के लिए होती थी।

यह पहला अवसर है जब मकान होने

फ्लैटों की कीमत

- जसोला में एचआईजी फ्लैटों की कीमत 2.08 से 2.18 करोड़ रुपये
- नरेला में एमआईजी फ्लैटों की कीमत एक करोड़ रुपये
- द्वारका में एमआईजी फ्लैटों की कीमत 1.25 से 1.35 करोड़ रुपये
- नरेला व रोहिणी में एलआईजी फ्लैटों की कीमत 15 लाख रुपये
- सिरसपुर में एलआईजी फ्लैटों की कीमत 17 लाख रुपये
- लोक नायक पुरम में एलआईजी फ्लैटों की कीमत 30 लाख रुपये
- नरेला में ईडब्ल्यूएस फ्लैटों की कीमत 10 से 13 लाख रुपये

के बावजूद लोग फ्लैट के लिए आवेदन कर सकते हैं।

डीडीए ने कहा कि गरीबों को किफायती दर पर फ्लैट मुहैया कराने के उद्देश्य से वन बेडरूम फ्लैट की कीमत विशेष आवासीय योजना-2021 वाली ही रखी गई है। डीडीए ने दावा किया है कि नरेला

के फ्लैट लोगों को आकर्षित करेंगे। दरअसल नरेला में इस समय विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कई बड़ी योजनाएं चल रही हैं।

यह अधिकतर योजनाएं यहां बनाए गए फ्लैटों के मद्देनजर तैयार की गई हैं।

पंजाब केसरी
DELHI

1-7-2023

डीडीए ने लांच की विशेष आवासीय स्कीम अपना घर पाने का अब एक सुनहरा अवसर

पहले आओ पहले पाओ आधार पर मिलेंगे फ्लैट, 10 जुलाई तक होगा आवेदन

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने शुक्रवार को अपनी विशेष आवासीय फ्लैट्स योजना लांच कर दी। पहले आओ पहले पाओ आधार पर शुरू हुई इस योजना में विभिन्न श्रेणी के कुल 5623 फ्लैट्स शामिल किये गए हैं। सभी फ्लैट्स पुरानी योजना में बिकने से रोके रह गए थे। आवेदकों के रुझान को देखते हुए इस संख्या में इजाफा भी किया जा सकता है। पहली बार इस योजना में एचआईजी और एमआईजी फ्लैट्स को शामिल किया है। इसके तहत शुक्रवार से लोग डीडीए की अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अपने पसंद का फ्लैट खरीद सकते हैं। यदि आपके पास दिल्ली में 67 वर्ग मीटर या इससे छोटा घर है, तब भी इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। इस तरह की रियायत डीडीए ने पहली बार दी है। इससे पहले डीडीए की हाउसिंग स्कीम में सिर्फ वही लोग फ्लैट के लिए आवेदन कर



सकते थे, जिनका दिल्ली में कोई घर नहीं है। साथ ही डीडीए ने अब तक लगी हुई रोक को हटाते हुए नियम को सरल बनाया है, जिससे पति, पत्नी या घर के किसी भी सदस्य के नाम पर प्रोपर्टी (दिल्ली में) होने के बावजूद वे इस स्कीम में शामिल हो सकते हैं। विशेष स्कीम में शामिल होने के लिए 10 जुलाई तक फ्लैट को पसंद करके उसकी पंजीकरण राशि जमा करनी होगी। जिसके बाद बुकिंग (फ्लैट) की राशि को तय नियम पर जमा करना होगा।

डीडीए की वेबसाइट के अनुसार,

स्कीम तब तक जारी रहेगी जब तक डीडीए की तरफ से इसे लेकर कोई निर्णय नहीं लिया जाता। मांग के अनुसार इस स्कीम में सीटों की संख्या बढ़ाई भी जा सकती है। डीडीए के मुताबिक, 10 जुलाई तक बुकिंग करवाने वालों को पांच दिन के लिए फ्लैट देखने का मौका भी मिलेगा। इसके लिए उन्हें समय और दिन की जानकारी ईमेल के जरिए भेजी जाएगी। आवेदकों को संबंधित इंजीनियर और अधिकारी उनका बुक करवाया हुआ फ्लैट दिखाएंगे।

CM KEJRIWAL HOLDS REVIEW MEETING

DJB to adopt latest technology to tackle water contamination

OUR CORRESPONDENT

NEW DELHI: The Delhi Jal Board (DJB) will adopt the latest technology to tackle water contamination in the areas facing the problem amidst heavy rainfall in the city.

Over the past two weeks, the Additional Chief Engineers (Maintenance) (ACE-M) have actively engaged with MLAs to compile a comprehensive list of areas affected by water contamination.

To address pipeline defects, which may include cracks or gaps in tappings allowing the entry of impure water, officials suggested the use of helium-based tracking methods. Helium-based tracking eliminates the need for excavation or any other obstruction, making it a non-disruptive and efficient solution. Additionally, the DJB proposed the deployment of special cameras that can be inserted into the pipelines. These high-tech cameras are capable of detecting leaks or breakages within a range of up to 500 metres.

Implementing these



advanced solutions will allow for prompt spot repairs to the pipelines, ensuring an uninterrupted and clean water supply to consumers while avoiding inconvenience. Recognising the significance of this initiative, the DJB has requested a specific budget allocation which CM Arvind Kejriwal has assured that he will address.

"We will ensure that there is no shortage of funds for providing clean and clear water to the people of Delhi, this

plan should be implemented quickly and in a better way," Kejriwal said.

"During monsoon season, the low-lying areas of Delhi often face waterlogging due to incessant rains. This unfortunate situation leads to water contamination in certain areas, as impurities somehow infiltrate the water supply through defects in the supply pipeline," the Delhi government said in a statement.

The issue of waterlogging

is manifold. Often illegal construction and using drain space affect the flow of contaminated water which mingles with rain water, a former Delhi government official said. "The smaller drains in the lanes are covered and used by individual houses hence the water has no outlet. Ideally, the smaller drain meets the larger drain and excess drain water is transported to the drain basin. However poor management of such drains often leads to waterlogging," he said.

Highlights

» We will ensure that there is no shortage of funds for providing clean and clear water to the people of Delhi, this plan should be implemented quickly and in a better way: CM

» 'During monsoon season, the low-lying areas of Delhi often face waterlogging due to incessant rains. This unfortunate situation leads to water contamination in certain areas'

Several areas in the Capital like Karol Bagh have been facing water logging year after year but a permanent solution has not been found yet. The problem is also that multiple agencies like MCD, PWD, and DDA work with drain and sewer lines without being mindful of the long-term impact of short term measures.

As a result, residents are exposed to several health concerns, including jaundice, diarrhoea, and stomach infections.

DDA launches housing scheme for 5,500 flats

OUR CORRESPONDENT

NEW DELHI: The Delhi Development Authority (DDA) has launched a housing scheme on first-come, first-serve basis for over 5,500 flats across all categories at various locations in the national Capital.

Under the scheme, 1BHK flats are being offered in Narela, Siraspur, Rohini, Lok Nayak Puram and 2BHK are being offered in Narela and Dwarka while 3BHK in Jasola. The registration for the flats started on Friday while booking of flats will be available from July 10, 2023.

Connectivity and security measures have been improved in Narela, while many infrastructure projects are also coming up in the sub-city which will make



it attractive for home buyers, the DDA announced in a statement.

The price of most of the 1BHK flats has been set at the same rate that was there at the time of Special Housing Scheme, 2021 and others have

been priced as offered in 2022-23. The amendment has been made in housing regulations so now eligibility criteria of disallowing persons holding residential plots or built-up houses in Delhi cumulatively exceeding 67 sq metres will not be applicable. This means no person will be barred from the benefits of the scheme on grounds of having any land or building ownership in Delhi in his or her own name or any members of the family.

The central government's policy of Ease of Doing Business scheme is completely online.

Interested persons can check all the relevant details like size of the flats, location of the pocket, cost, layout plan of the flat online at <https://eservices.dda.org.in/>. The flats are

in ready to move in condition. Applicants can book locality and flats of their choice.

Maximum flats offered in this scheme are in Narela where numerous measures have been undertaken by DDA. To improve security measures, land has been allotted to Delhi Police for opening police stations while connectivity of the area has been improved through DTC buses. Besides, a metro line is also proposed.

Adequate steps have also been taken for education and healthcare facilities in the area by allotting land to Delhi government for schools and dispensaries. Six higher secondary schools are also to be constructed and a sports complex is also being developed.

Govt framed policy for development of 26 industrial areas: Kejriwal

STAFF REPORTER ■ NEW DELHI

Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal on Friday said his government has framed a policy for the redevelopment of 26 notified non-conforming industrial areas. He met with industrialists of the non-conforming areas to initiate the layout planning of these areas.



implemented in three phases, the CM announced.

The redevelopment of non-conforming industrial areas will be carried out in three phases. The initial phase will focus on the development of layouts, followed by the construction of necessary infrastructure in the second phase. The third and final phase will involve the establishment of essential public facilities to cater to the needs of the transformed zones. To ensure the successful execution of the project, a panel of consultants will be formed, with 90 percent of the consultancy cost being borne by the Delhi Government and the remaining 10 percent shared by the industry associations.

Addressing the industrialists, Kejriwal highlighted the unplanned nature of development in Delhi. He said there are no sewer networks, water and electricity availability. Everything in such areas runs on jugaad or makeshift improvisation. Eventually these areas were given the title of non conforming industrial areas, he said.

The Chief Minister explained that if the industries did not comply with the DDA's order then it was directed that such units and areas would be closed down.

The government's solution is the Redevelopment of Non Conforming Industrial Areas policy, which will be

जरूरतमंदों के लिए डीडीए की 5623 फ्लैटों की योजना लांच

नई दिल्ली (एसएनबी)। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर विभिन्न श्रेणी के 5623 फ्लैटों की आवासीय योजना लांच की है। जरूरतमंदों के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया भी शुक्रवार को शाम पांच बजे से शुरू हो गई। हालांकि फ्लैट की बुकिंग 10 जुलाई को दोपहर बाद से शुरू होगी। ये फ्लैट नरेला, द्वारका, रोहिणी, लोक नायकपुरम एवं जसोला में हैं। प्राधिकरण का कहना है कि आवास नीति की सीधे तौर पर उप-राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना निगरानी कर रहे हैं। प्राधिकरण अधिकारियों ने तर्क दिया है कि नरेला के फ्लैट बेधर लोगों के लिए काफी आकर्षण का केंद्र हो सकते हैं। नरेला में इस समय तमाम बड़ी योजनाएं चल रही हैं। जिनका असर भविष्य में दिखाई देगा। खासबात यह है कि इस

योजना में ऐसे लोग की आवेदन कर सकते हैं, जिनके पास 67 वर्गमीटर से बड़ा फ्लैट या फ्लैट पहले से उपलब्ध है।

- पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर होगा आवंटन
- पंजीकरण प्रक्रिया शुरू, फ्लैट बुकिंग प्रक्रिया 10 जुलाई से
- नरेला, द्वारका एवं जसोला में उपलब्ध हैं फ्लैट

डीडीए अधिकारियों का कहना है कि गरीबों को किफायती दर पर फ्लैट मुहैया कराने के उद्देश्य से वन बेडरूम फ्लैट की कीमत विशेष आवासीय योजना-2021 की रखी गयी है। यह पूरी आवासीय योजना आइल है। सभी फ्लैट बनकर तैयार हैं। इस योजना में आवेदन करने वालों के लिए प्राधिकरण ने

फ्लैट की श्रेणी	आवेदन राशि
वन बीएचके प्लस	50 हजार
वन बीएचके	एक लाख
टू बीएचके	चार लाख
थ्री बीएचके	10 लाख

<https://eservices.dda.org.in> वेबसाइट पर आवेदन फार्म डाउनलोड कर दिया है। इसके साथ ही फ्लैट का क्षेत्रफल, जगह एवं लागत को वेबसाइट पर देख जा सकता है। आवेदक अपनी पसंद का फ्लैट बुक करा सकते हैं। इस आवासीय योजना में शामिल अधिकांश फ्लैट नरेला में उपलब्ध हैं। नरेला में डीडीए की तमाम विकास योजनाएं चल रही हैं।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY LIBRARY PRESS CLIPPING SERVICE

amarujala.com

सोमवार, 3 जुलाई 2023

PERS

3 जुलाई • 2023

सहारा

DATED

डीडीए स्कीम में फ्लैटों को आपस में जोड़ने की अनुमति अब आवेदक फ्लैटों का आकार बढ़ा सकेंगे, सभी स्थानों और फ्लैटों में लागू होगा यह नियम

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। डीडीए ने पहले आओ पहले पाओ हाउसिंग स्कीम में दो फ्लैटों को आपस में जोड़ने की अनुमति प्रदान की है। इस तरह आवेदकों को उनके फ्लैट का आकार बढ़ाने की छूट मिल गई है। यह नियम सभी स्थानों पर और सभी प्रकार के फ्लैटों पर लागू होगा। डीडीए का मानना है कि इस प्रावधान के बाद उसके फ्लैट



खरीदने के लिए आकर्षित होंगे। डीडीए के अनुसार, पहले आओ पहले पाओ हाउसिंग स्कीम में आवेदक द्वारा एक साथ सटे हुए दो फ्लैट खरीदने पर आवश्यक

संरचनात्मक मंजूरी की शर्त पर वह उन दोनों फ्लैटों के बीच की दीवार में एक दरवाजा खोलकर दोनों फ्लैटों को आपस में जोड़ सकता है। इतना ही नहीं, यदि किसी आवेदक के पास पहले ही पिछली स्कीम का कोई फ्लैट है और उसके अब उससे सटा हुआ फ्लैट खरीदने की स्थिति में भी यह नियम उस मामले में भी लागू होगा। डीडीए ने पहले आओ पहले पाओ स्कीम के तहत विभिन्न स्थानों में सभी श्रेणियों

के 5500 से अधिक फ्लैटों के लिए 30 जून से आवेदन मांगने की प्रक्रिया आरंभ कर रखी है। इस स्कीम के तहत 10 जुलाई तक आवेदन किए जा सकते हैं। डीडीए ने नरेला, सिरसपुर, रोहिणी, लोकनायक पुरम में एक बीएचके फ्लैट, नरेला और द्वारका में दो बीएचके फ्लैट, जबकि जसोला में तीन बीएचके फ्लैट ऑफर किए हैं। इस स्कीम तहत अब तक लगभग 4000 रजिस्ट्रेशन किए जा चुके हैं।

डीडीए ने आवेदकों को साथ के दो फ्लैट आपस में जोड़ने की दी अनुमति

■ नई दिल्ली (एसएनबी)।

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने 'पहले आओ पहले पाओ' हाउसिंग योजना- चार को और अधिक आकर्षित बनाने के लिए आवेदन करने वालों को एक और छूट दे दी है। इसके तहत आवेदन अपने आस-पास के दो फ्लैटों को जोड़ सकते हैं। इसके साथ ही पहले से किसी का फ्लैट है और वह आवंटी इस योजना में बराबर का फ्लैट खरीदना चाहता है, तो उसको भी इसका लाभ मिलेगा।

डीडीए ने बीते सप्ताह ही करीब 5500 फ्लैटों की एक आवासीय योजना 30 जून को ही लांच की है। हालांकि फ्लैट बुकिंग की प्रक्रिया 10 जुलाई से शुरू होगी। डीडीए के मुताबिक आवंटी फ्लैटों के बीच की दीवार में एक दरवाजा खोलकर दोनों फ्लैटों को आपस में जोड़ सकता है। यह नियम सभी स्थानों पर और सभी प्रकार के फ्लैटों पर लागू होगा। इस आनलाइन योजना में नरेला, सिरसपुर, रोहिणी, लोकनायक पुरम में 1 बीएचके फ्लैट, नरेला और द्वारका में 2 बीएचके फ्लैट और जसोला में 3 बीएचके फ्लैट है। इस योजना में अब तक करीब 4000 पंजीकरण हो चुके हैं।

पंजाब केसरी

DELHI

3 जुलाई, 2023

दो फ्लैटों को आपस में जोड़ने का मिला अवसर

डीडीए ने दी आवेदकों को सहूलियत, हाउसिंग स्कीम के तहत अब तक हुए 4000 रजिस्ट्रेशन

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर शुरू की गई वर्तमान हाउसिंग स्कीम के तहत फ्लैट प्राप्त करने वालों को एक और बड़ी सहूलियत दी है। डीडीए ने आवेदकों को अपने फ्लैट का आकार बढ़ाने में छूट प्रदान करने के लिए स्कीम के अंतर्गत मिलने वाले दो फ्लैटों को आपस में जोड़ने की अनुमति प्रदान की है।



इस पहले आओ-पहले पाओ फेज IV की स्कीम में यदि आवेदक एक साथ सटे हुए दो फ्लैटों को खरीदता है, तो आवेदक संरचनात्मक मंजूरी की शर्त पर वह उन दोनों फ्लैटों के बीच की दीवार में एक दरवाजा खोलकर दोनों फ्लैटों को आपस में जोड़ सकता है। यह नियम सभी स्थानों पर और सभी प्रकार के फ्लैटों

फ्लैटों की बुकिंग 10 जुलाई, दोपहर 12 बजे से की जा सकेगी

पर लागू होगा। यदि कोई आवेदक जिसके पास पहले ही पिछली स्कीम का कोई फ्लैट हो और वह उससे सटा हुआ फ्लैट खरीदता है तो यह नियम उस मामले में भी लागू होगा। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने राजधानी के विभिन्न स्थानों में सभी श्रेणियों के 5500 से अधिक फ्लैटों के लिए 30 जून 2023 को 'पहले आओ पहले

पाओ" आधार पर हाउसिंग स्कीम आरंभ की है। इस स्कीम के अंतर्गत नरेला, सिरसपुर, रोहिणी, लोकनायक पुरम में 1 बीएचके फ्लैट; नरेला और द्वारका में 2 बीएचके फ्लैट जबकि जसोला में 3 बीएचके फ्लैट ऑफर किए गए हैं। इन फ्लैटों की बुकिंग 10 जुलाई 2023 को दोपहर 12 बजे से की जा सकेगी। इस स्कीम को आम जनता द्वारा काफी पसंद किया जा रहा है और अब तक लगभग

4000 रजिस्ट्रेशन किए जा चुके हैं। यहां बता दें कि डीडीए ने शुक्रवार को अपनी विशेष आवासीय फ्लैट्स योजना लांच कर दी। इस योजना में विभिन्न श्रेणी के कुल 5623 फ्लैट्स शामिल किये गए हैं। इस विशेष स्कीम में शामिल होने के लिए 10 जुलाई तक फ्लैट को पसंद करके उसकी पंजीकरण राशि जमा करनी होगी। जिसके बाद बुकिंग (फ्लैट) की राशि को तय नियम पर जमा करना होगा।

डीडीए के अनुसार स्कीम तब तक जारी रहेगी जब तक डीडीए की तरफ से इसे लेकर कोई निर्णय नहीं लिया जाता। मांग के अनुसार इस स्कीम में सीटों की संख्या बढ़ाई भी जा सकती है। डीडीए के मुताबिक 10 जुलाई तक बुकिंग करवाने वालों को पांच दिन के लिए फ्लैट देखने का मौका भी मिलेगा। इसके लिए उन्हें समय और दिन की जानकारी ईमेल के जरिए भेजी जाएगी। आवेदकों को संबंधित इंजीनियर और अधिकारी उनका बुक करवाया हुआ फ्लैट दिखाएंगे।

Residents of 'unsafe' apartments accept DDA offer of reconstruction

Satvika Mahajan
NEW DELHI

The residents of the "structurally unsafe" Signature View Apartments, accepted the DDA's offer to reconstruct the housing complex. The decision was taken at a meeting on Sunday. A 2022 study by IIT Delhi, commissioned by the DDA, stated that the buildings were "structurally unsafe" and must be vacated and "dismantled as soon as possible to prevent any loss of life". The agen-



A resident pointing at a damaged portion of the housing complex. FILE PHOTO

cy, which built the housing complex with 336 flats – 112 Middle-Income Group and 224 High-Income

Group – in 2010, had offered to either buy back the apartments or reconstruct them.

"The residents approved the option, whereby the DDA will construct a maximum of 168 additional dwelling units using the adjoining .67-hectare land. The agency will also construct the balconies with a width of two meters and the residents will bear the proportionate construction cost for the additional area," SVA's RWA chief, Amarendra Jha, said.

DDA approves amalgamation of 2 flats under new housing scheme



STAFF REPORTER
NEW DELHI

To give applicants flexibility to increase their flat size, the Delhi Development Authority (DDA) on Sunday said amalgamation of two adjacent flats offered under the recently launched new scheme has been allowed.

The DDA on Friday launched on a first-come, first-serve (FCFS) basis a housing scheme that will include 5,500 flats across all categories at various locations in Delhi.

The scheme is receiving "good response" from the general public and around 4,000 registrations have been made so far, officials said.

The DDA has allowed the amalgamation of two flats offered under the ongoing scheme, to give applicants flexibility to increase the size of their flats, a senior official said.

This is applicable to all localities and all types of flats. If one applicant happens to buy an adjacent flat to a flat which he already owns from earlier scheme, principles of amalgamation will also be applicable.

If an applicant happens to buy two adjacent flats on offer in this scheme of FCFS phase-IV, he or she shall have the liberty of amalgamating the two units, by "opening a common door through a common wall between them, subject to necessary structural approvals", the DDA said in a statement. This applies to all localities and all types of flats, it said.

If one applicant happens to buy an adjacent flat to a flat that he already owns from an earlier scheme, principles of amalgamation will also be applicable, the DDA said.

Under the scheme, 1-BHK flats are being offered in Narela, Siraspur, Rohini, and Loknaya Puram; 2-BHK flats in Narela and Dwarka; and 3-BHK flats in Jasola.

millenniumpost

MONDAY, 3 JULY, 2023 | NEW DELHI

Amalgamation of 2 flats under FCFS housing scheme allowed, says DDA

NEW DELHI: Amalgamation of two adjacent flats offered under the recently launched new scheme of the DDA has been allowed, officials said on Sunday. The DDA on Friday launched on a first-come, first-serve (FCFS) basis a housing scheme that will include 5,500 flats across all categories at various locations in Delhi.

The scheme is receiving "good response" from the general public and around 4,000 registrations have been made

so far, officials said. The DDA has allowed the amalgamation of two flats offered under the ongoing scheme, to give applicants flexibility to increase the size of their flats, a senior official said. If an applicant happens to buy two adjacent flats on offer in this scheme of FCFS phase-IV, he or she shall have the liberty of amalgamating the two units, by "opening a common door through a common wall between them, subject to necessary structural approvals",

the DDA said in a statement.

This applies to all localities and all types of flats, it said.

If one applicant happens to buy an adjacent flat to a flat that he already owns from an earlier scheme, principles of amalgamation will also be applicable, the DDA said.

Under the scheme, 1-BHK flats are being offered in Narela, Siraspur, Rohini, and Loknaya Puram; 2-BHK flats in Narela and Dwarka; and 3-BHK flats in Jasola. MPOST